न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 105/2025 बउनवानी रोहित प्रजापत बनाम तहसीलदार सवाईमाधोपुर निवासी रेल्वे कॉलोनी सवाईमाधोपुर

GCMS No-2025/ 232 **Appeal Number- 321607116500991**

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	
17.9.2025	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने बाबत ऑन लाईन पोर्टल के माध्यम से दिनांक 23.7.2025 को लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार सवाईमाधोपुर को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर *" राजस्व नियमो खातेदारी भूमि पर आवास निर्माण के संबंध में नियम/परिपत्र, आवास निर्माण हेतु तहसीलदार की अनुमति आवश्यक है या नही? सिचिंत नहर भूमि से कितनी दूरी पर आवास निर्माण किया जा सकता इत्यादि कुल 3 बिन्दुओं की प्रमाणित सूचना "* तहसीलदार सवाईमाधोपुर से दिलाये जाने बाबत निवेदन किया था किन्तु संबंधित लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि में उसे चाही गयी सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है, जिसके कारण अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 की धारा 19(1)के तहत ऑन लाईन पोर्टल पर प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रेषित की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार सवाईमाधोपुर सिटी को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार सवाईमाधोपुर की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस कमांकः आरटीआई/2025/110दिनांक 25.8.2025 का अवलोकन करने पर पाया गया कि चाही सूचना प्रश्नात्मक होने एवं ऑनलाईन उपलब्ध होने से उक्त सूचना ऑनलाईन प्राप्त करने बाबत आवेदक को सूचित करते हुए आवेदक का आवेदन पत्र खारिज किया जा चुका है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 23.7.2025 को प्रेषित प्रार्थना पत्र मे चाही गयी सूचना प्रश्नात्मक होने एवं ऑन लाईन होने के कारण आवेदक का आवेदन पत्र इस कथन के साथ खारिज कर दिया है कि चाही गयी सूचना अपीलान्ट ऑनलाईन प्राप्त कर सकता है लेकिन किस साईट से प्राप्त कर सकता है यह अंकित नही किया है। अतः लोक सूचना अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि अपीलान्ट को संबंधित साईट जिससे उक्त सूचना प्राप्त की जा सकती है की जानकारी उपलब्ध करावे। साथ ही यह भी अंकित नही किया कि अपीलान्ट का आवेदन पत्र कौनसी दिनांक खारिज को किया गया है,जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि लोक सूचना अधिकारी सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के प्रावधानो के प्रति सजग नही है जो खेदजनक है। अतः लोक सूचना अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि भविष्य मे उक्त अधिनियम के तहत प्राप्त होने वाले प्रार्थना पत्रों का अधिनियम की तय समय सीमा मे अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार निस्तारण किया जावे। अतः उक्त निर्देश के साथ अपील अपीलान्ट का निस्तारण किया जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी। (काना राम) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर	

Scanned with OKEN Scanner